राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

आजादी का अमृत महोत्सव

भीम BHIM

क्रमांकः— व.1—3(1)फिक्सेशन / अभि / मंत्रा / 17 / 5496-5535   दिनांकः— 16/05/2022

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F.11(7)F.D./Rules/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश दिनांक 06.10.2008 / 06.04.13 के नियम 19 के अन्तर्गत एवं राजस्थान सिविल सर्विस (पुनरीक्षित) रूल्स 2017 के आदेश दिनांक 30.10.2017 एवं अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के नियम 14, 15 के अन्तर्गत अराजपत्रित कार्मिको को 9, 18, 27 एसीपी स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है। उक्त नियम के अन्तर्गत एसीपी के लिये निम्न प्रकार से पे ग्रेड / लेवल निर्धारित की गई थीः—

राजस्थान सिविल सर्विस (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 दि. 12.09.08 व 06.04.13			
Pay level	First ACP	Second ACP	Third ACP
2400	2400(9A)	2400(9B)	2800
राजस्थान सिविल सर्विस (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 दि. 30.10.17 व 09.12.17			
L-5	L-6	L-7	L-8

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर में दायर विभिन्न याचिकाओं के सम्बन्ध में पारित निर्णय दिनांक 25.11.2021 व दिनांक 13.12.2021 एवं राज्य सरकार के मेमोरण्डम क्रमांक F.14(88)F.D. /Rules/2008 दिनांक 27.02.2022 एवं क्रमांक F.15(88)F.D./Rules/2017 दिनांक 27.02.2022 के दिशा—निर्देशानुसार राजस्थान सिविल सर्विस (पुनरीक्षित वेतन) रूल्स 2008 एवं राजस्थान सिविल सर्विस (पुनरीक्षित वेतन) रूल्स 2017 में आंशिक संशोधन कर अभियोजन विभाग में कार्यरत कार्मिकों की एसीपी निम्न प्रकार से एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती हैः—

राजस्थान सिविल सर्विस (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 दि. 12.09.08 व 06.04.13			
Pay level	First ACP	Second ACP	Third ACP
2400	2800	3600	4200
राजस्थान सिविल सर्विस (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 दि. 30.10.17 व 09.12.17			
L-5	L-8	L-10	L-11

उपरोक्त के फलस्वरूप पूर्व में जारी अभियोजन निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांक व. 1—3 (1) फिक्सेशन / अभि / मंत्रा / 2017 / 473—543 दिनांक 08.01.2020 को अपास्त कर समस्त उप निदे. अभि. / सहा. निदे. अभि. को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के मेमोरण्डम दिनांक 27.02.2022 की पालना में कार्मिकों का अपने स्तर पर संशोधित वेतन निर्धारण कर एक प्रति निदेशालय को भिजवाये तथा जिन कार्मिकों के आदेश दिनांक 08.01.2020 के अनुसरण में संशोधित वेतन नियतन कर वेतन संशोधित किया जा चुका है उनका पुनः नियमानुसार वित्त (Rules) विभाग के मेमोरण्डम दिनांक 27.02.2022 के अनुसरण में वेतन नियतन करवाकर वेतन निर्धारण करने की कार्यवाही अविलम्ब की जावे।

sd/-
(चंचल मिश्रा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय / अभि), अभियोजन निदेशालय जयपुर।
3. समस्त उप निदेशक अभियोजन / सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
4. संस्थापन / प्रशासनिक अधिकारी / अति. प्रशा. अधिकारी, अभियोजन निदेशालय,राज. जयपुर।
5. सहायक लेखाधिकारी—प्रथम, प्रभारी आंतरिक जांच दल, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर को वित्त(रूल्स) विभाग के मेमोरण्डम F.14(88)F.D./Rules/2008 दिनांक 27.02.2022 एवं क्रमांक F.15(88)F.D./Rules/2017 दिनांक 27.02.2022 के क्रम में विभाग में कार्यरत कार्मिकों के वेतन नियतनों की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।
6. समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

16/5
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।